प्रेसनोट दिनांक 21-08-2020 जनपद मुरादाबाद।

1 –ऑटो चालकों से अवैध वसूली व सरकारी कार्य में बाधा डालने का एक अभियुक्त गिरफ्तार, थाना सिविल लाइनः–

दिनांक 20.08.20 को श्री पवन कुमार प्रभारी निरीक्षक यातायात मुरादाबाद ने मय हमराही पुलिस बल सहित अभियुक्त रोहित शर्मा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश शर्मा निवासी चन्द्रनगर थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद को किला तिराहे के पास खडे ऑटो व विक्रम चालको से 10–10 रूपये की अवैध वसूली करना, ऑटो व विक्रम चालको का चालान करने को कहने पर चालान न करने देना, व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बंध में गिरफ्तार किया गया। इस सम्बंध में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्व थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 1154/20 धारा 384,332 भादवि पंजीकृत किया गया।

2–कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वाराः–

आज दिनांक 21.08.20 को उ0नि0श्री राकेश कुमार थाना ठाकुरद्वारा ने मय हमराही पुलिस बल सहित मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त संजय पुत्र विजयपाल निवासी लालालपुर पीपलसाना थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद को उसके घर से समय 10.05 बजे मय 10 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बंध में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्व थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 518/20 धारा 60(2) आवकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

3**–कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार, थाना छजलैटः–**

दिनांक 20.08.20 की रात्रि में उ0नि0श्री सन्नी कुमार थाना छजलैट ने मय हमराही पुलिस बल सहित मुखबिर की सूचनापर अभियुक्त ऋषिपाल पुत्र हरिसिंह निवासी ग्राम दूल्हेपुर थाना छजलैट, मुरादाबाद को जंगल ग्राम दूल्हेपुर से मय 40 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बंध में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्व थाना छजलैट पर मु0अ0सं0 379/20 धारा 60/62 आवकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

4–नाजायज स्मैक सहित एक महिला अभियुक्ता गिरफ्तार, थाना मुगलपुराः–

आज दिनांक 21.08.20 को उ0नि0श्री चांदवीर सिंह थाना मुगलपुरा ने मय महिला हमराही पुलिस बल सहित मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता श्रीमती रूखसार पत्नी महफूज निवासी मोहल्ला बरबलान थाना मुगलपुरा, मुरादाबाद को चामुण्डा गली नं0 1 से समय 09.35 बजे मय 5.5 ग्राम नाजायज स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बंध में उपरोक्त महिला अभियुक्ता के विरूद्व थाना मुगलपुरा पर मु0अ0सं0 534/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।